न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2024 **दायर दिनांकः 18.11.2024**

उनवान

1. रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी खानपुरिया पोस्ट सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सकतपुर पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तह. अटरू जिला बारां (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 05.08.2021
ग्राम पंचायत सकतपुर पंचायत समिति अटरू

उपस्थिति :—
अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
रेस्पोडेन्ट :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 20.01.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट इस आशय की पेश की है कि वाके ग्राम एवं माल खानपुरिया पटवार मण्डल सकतपुर तह० अटरू जिला बारां (राज०) के खाता सं0 42 का ख0नं0 192 मन्दिर वाला कुंआ का रकबा 0.10 हे० गै०मु० कुंआ अपीलान्ट के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी में ईश्वरलाल, चन्दालाल, बिरधीलाल व नन्दकिशोर पुत्रान भैरूलाल के हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज खाता स्थित है अपीलान्ट के पिता नन्दकिशोर है। जिनकी मृत्यु सन् 2019 में हो चुकी है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 व मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में संलग्न है जो [illegible] गौर है। ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तह० अटरू में नन्दकिशोर की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान द्वारा ग्राम नोहल्या की आराजी में फोती इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवार हल्का सकतपुर को मृतक नन्दकिशोर का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दिये गये थे। मृतक नन्दकिशोर के ग्राम नोहल्या में स्थित खाता संख्या 58 कुल किता 5 का रकबा 0.83

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested

हे0 में नामान्तरकरण संख्या 331 से दिनांक 05/08/2021 को ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा सही खोल दिया गया है परन्तु नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया में भी नाम समान होने से एवं पटवार हल्का एक ही होने से सहवन से अपीलान्ट के शामलाती खाते में स्थित आराजी खाताः सं० 42 का ख०नं० 192 मन्दिर वाला कुंआ का रकबा 0.10 हे० गै०मु० कुंआ में भी मृतक नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी नोहल्या के वारिसान का नामान्तरकरण 289 दिनांक 05/08/2021 को ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक खोल दिया गया है। नामान्तरकरण 289 दिनांक 05/08/2021 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण की प्रति साथ में संलग्न है। रेस्पोडेंन्ट क्रम 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 289 अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से खोला गया है इसलिये नामान्तरकरण संख्या 289 को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपील की सुनवाई का न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील नामान्तरकरण सख्या 289 की प्रतिलिपी दिनांक 24/10/2024 को प्राप्त होने की दिनांक से अपील अवधि मध्य एवं न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेरपोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट क्रम के 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने स्वयं उपस्थित होकर ऑर्डरशीट पर इन्तकाल को खारिज करने में कोई आपत्ति नही होने बाबत् सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 42, मृत्यु प्रमाण पत्र नन्दकिशोर, नकल नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 13.07.2021 ग्राम खानपुरिया, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल नोहल्या सम्वत 2072–75 खाता संख्या 58, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल धूमेन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 123, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल धूमेन सम्वत 2073–73 खाता संख्या 127, आधार कार्ड नन्दकिशोर, जन आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड रामभरोस, मृत्यु प्रमाण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के पिताजी के ग्राम एवं माल खानपुरिया पटवार मण्डल सकतपुर तह० अटरू जिला बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested

के खाता सं0 42 का ख0नं0 192 मन्दिर वाला कुंआ का रकबा 0.10 हे० गै०मु० कुंआ अपीलान्ट के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही थी। उक्त आराजी में ईश्वरलाल, चन्दालाल, बिरधीलाल व नन्दकिशोर पुत्रान भैरूलाल के हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज था। ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी नोहल्या तह० अटरू में नन्दकिशोर की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान द्वारा ग्राम नोहल्या की आराजी में फोती इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवार हल्का सकतपुर को मृतक नन्दकिशोर का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दिये गये थे। मृतक नन्दकिशोर के ग्राम नोहल्या में स्थित खाता संख्या 58 कुल किता 5 का रकबा 0.83 हे0 में नामान्तरकरण संख्या 331 से दिनांक 05/08/2021 को ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा सही खोल दिया गया है परन्तु नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया में भी नाम समान होने से एवं पटवार हल्का एक ही होने से सहवन से अपीलान्ट के शामलाती खाते में स्थित आराजी खाताः सं० 42 का ख०नं० 192 मन्दिर वाला कुंआ का रकबा 0.10 हे० गै०मु० कुंआ में भी मृतक नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी नोहल्या के वारिसान का नामान्तरकरण 289 दिनांक 05/08/2021 को ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक खोल दिया गया है। नामान्तरकरण 289 दिनांक 05/08/2021 को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

बहस अभिभाषक, पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यों के आधार पर नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खानपुरिया के खाता संख्या 42 व नकल जमाबन्दी ग्राम व माल नोहल्या के खाता संख्या 58 दोनो जमाबन्दियों में खातेदार का नाम नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड होने व एक ही पटवार हल्का से होने से नामान्तरकरण 289 दिनांक 05.08.2021 को ग्राम पंचायत सकतपुर द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक खोल दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि फोती इंतकाल खोलतें समय वारिसान की जांच सही नही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने भी स्वयं उपस्थित होकर ऑर्डरशीट पर इन्तकाल को खारिज करने में कोई आपत्ति नही होने बाबत् सहमति प्रदान की है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 289 दिनांक 05.08.2021 ग्राम सकतपुर को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 289 दिनांक 05.08.2021 ग्राम सकतपुर पटवार मण्डल सकतपुर खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि मृतक नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल के वैध वारिसानों की जाँच कर नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:46 IST
Reason: SelfAttested